



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55540

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10022 वर्ष 2026

प्रतिभा देवी एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

30प्र0 राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से अधिवक्ता : आज़ाद खान, सुनील वर्मा

प्रत्यर्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमित कुमार पाल को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्तागण ने परमादेश की प्रकृति में एक रिट के लिए प्रार्थना की है जिसमें प्रत्यर्थीगण को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने और सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश के लिए भी प्रार्थना किया गया है।
3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्होंने 24.02.2026 को संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार अपनी शादी की है। वह आगे कहता है कि यह उनकी पहली शादी है। यह भी कहा जाता है कि उनके खिलाफ इस संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और उनकी शादी किसी भी पक्ष पर दबाव के बिना उनकी स्वतंत्र सहमति से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की गई थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्तागण को प्रत्यर्थागण द्वारा इस प्रकार शादी करने के कारण धमकी दी जा रही है और परेशान किया जा रहा है।

4. **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 सीआरएलजे 3309** में, अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़के और लड़की के माता-पिता द्वारा उत्पीड़न के प्रकरण से निपटते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित शब्दों में निर्देश जारी किए हैं: -

“यह एक स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक देश है, और जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तो वह अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकता/सकती है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतर्जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि अपने पुत्र या पुत्री से सामाजिक संबंध विच्छेद कर लें, किन्तु वे किसी प्रकार की धमकी नहीं दे सकते, न ही हिंसा कर सकते हैं या ऐसी हिंसक गतिविधियों के लिए उकसा सकते हैं और न ही ऐसे विवाह करने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित कर सकते हैं। अतः हम निर्देश देते हैं कि देश भर में प्रशासन/पुलिस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई बालिग लड़का या लड़की किसी अन्य बालिग व्यक्ति के साथ अंतर्जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता/करती है, तो उस युगल को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न किया जाए और न ही उन्हें धमकियों अथवा हिंसा का सामना करना पड़े। और यदि कोई व्यक्ति ऐसी धमकी देता है या प्रताड़ित करता है या स्वयं अथवा अपने उकसावे पर हिंसात्मक कृत्य करता है, तो पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ कर विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए।”

5. **भगवान दास बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर 28 व 29 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है-

“28. अक्सर प्यार में पड़ने वाले युवा जोड़ों को कंगारू अदालतों के क्रोध से बचने के लिए पुलिस लाइनों या सुरक्षा गृहों में शरण लेनी पड़ती है। हमने लता सिंह प्रकरण में कहा है कि “ऑनर” किलिंग में कुछ भी “सम्मानजनक” नहीं है, और वे और कुछ नहीं बल्कि सामंती दिमाग वाले कट्टरपंथी लोगों द्वारा बर्बर और क्रूर हत्याएं हैं। हमारी राय में ऑनर किलिंग, चाहे किसी भी कारण से, मौत की सजा के लायक दुर्लभतम प्रकरण की श्रेणी में आती है। अब समय आ गया है कि इन बर्बर, सामंती प्रथाओं को खत्म किया



जाए जो हमारे राष्ट्र पर कलंक हैं। इस तरह के अपमानजनक, असभ्य व्यवहार के लिए एक निवारक के रूप में यह आवश्यक है। सभी व्यक्ति जो "ऑनर किलिंग" को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि फांसी उनका इंतजार कर रही है।

29. इस निर्णय की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के महानिबंधक/निबंधक को भेजी जाए जो इसे न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों को परिचालित करेंगे। उच्च न्यायालयों के महानिबंधक/निबंधक भी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सभी सत्र न्यायाधीशों/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को इसकी प्रतियां वितरित करेंगे। फैसले की प्रतियां देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों/गृह सचिवों/पुलिस महानिदेशकों को भी भेजी जाएंगी। गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक इसे सूचना के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी एसएसपी/एसपी को प्रसारित करेंगे।”

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया जा रहा है और इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा कोई और निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह याचिकाकर्तागण की केवल आशंका है कि निजी प्रत्यर्थी हिंसा का कुछ कार्य कर सकते हैं और याचिकाकर्तागण को परेशान कर सकते हैं।

7. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन प्रकरण के गुण-दोष पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिट याचिका को अंततः इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता एक विवाहित जोड़े होने के नाते एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण जीवन में कोई गड़बड़ी होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे, जो प्रकरण की जांच करेंगे और याचिकाकर्तागण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे। पुलिस प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि एक निर्दोष व्यक्ति को परेशान या अपमानित नहीं किया जाना चाहिए यदि उसने याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में कोई बाधा नहीं डाली है।

8. याचिकाकर्तागण को यह भी निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 24.02.2026 को विवाह को उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार आज से दो महीने के भीतर पंजीकृत



किया जाएगा और यदि याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर विवाह का पंजीकरण कराने में विफल रहते हैं तो इसमें दी गई सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।

9. इस स्तर पर, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्तागण ने पहले ही अपनी शादी के पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया था।

10. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्तागण द्वारा दावा किए गए विवाह की वैधता और/या उनके विवाह प्रमाण पत्र की वास्तविकता या याचिकाकर्तागण की सही उम्र का निर्णय नहीं लिया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्तागण को कानून के अनुसार शुरू की गई किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही से बचाने के लिए पारित नहीं किया गया है।

11. चूंकि याचिका का निस्तारण किया जा रहा है, इसलिए इससे व्यथित कोई भी व्यक्ति इसे वापस लेने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है, यदि आदेश तथ्यों को दबाकर या छिपाकर या झूठे बयानों पर प्राप्त किया गया है।

12. हालांकि, यह आदेश पुलिस अधिकारियों के समक्ष लंबित जांच के रास्ते में नहीं आएगा, यदि कोई हो।

13. रिट याचिका का निस्तारण उपरोक्त टिप्पणियों के अनुसार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 मार्च, 2026

नितेंद्र